न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बामनवास जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी प्रियंका कड़ेला आर०ए०एस०

मुकदमा नम्बर – 55/2025 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. शम्भूदयाल पुत्र रामफूल
2. कमलेश पुत्र रामफूल
3. किरोड़ीलाल पुत्र रामफूल
4. मुकेश पुत्र रामफूल
5. हेमराज पुत्र रामफूल
6. हरकेश पुत्र रामफूल जाति मीना निवासी नाननवास तहसील बरनाला

–प्रार्थीगण

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बरनाला

–अप्रार्थी

वकील प्रार्थीया– श्री योगेश कुमार शर्मा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक :– 8-10-25

प्रार्थीगण की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 479/700 रकबा 0.38 है0, 479 रकबा 1.25 है0 स्थित ग्राम नाननवास तहसील बरनाला में स्थित है। जिसके प्रार्थीगण खातेदार काश्तगार है अन्य किसी दीगर व्यक्ति का कोई संबंध वास्ता नहीं हैं उपरोक्त आराजी को प्रार्थीगण ही वहैसियत खातेदार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। एवं लगान सरकारी अदा करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण की मेड़ को पड़ौसी खातेदार आये दिन ध्वस्त कर प्रार्थीगण की भूमि को अपनी भूमि में दबाने की नियत रखते है। जसके चलते प्रार्थीगण को अपनी भूमि की डोल मेड़ के संबंध में पड़ौसी खातेदारान से आये दिन विवाद का सामना करना पड़ता है। प्रार्थीगण अपनी भूमि का सीमाज्ञान भी करा चुके है। फिर भी पड़ौसी खातेदारान आये दिन विवाद करते रहते है। जिससे प्रार्थीगण को आये दिन मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। तथा झगड़े की सम्भावना बनी रहती है। आये दिन पड़ौसी खातेदारान से होने वाले विवादों को दृष्ट्रिगत रखते हुये प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी करवाने चाहते है। जिससे प्रार्थीगण को अपनी भूमि में किसी प्रकार की परेशानी [illegible] इस संबंध में प्रार्थीगण ने दिनांक 02.05.2025 को तहसीलदार बरनाला [illegible] करवाने हेतु निवेदन किया लेकिन उन्होंने श्रीमानजी के न्यायालय [illegible] आदेश लाने को कहा इसलिये प्रार्थना पत्र श्रीमानजी के [illegible] रहा है। इसलिए प्रा[illegible] धारा 128 राज0 भू0 अधि0 के तहत पेशकर निवेदन है [illegible] अप्रार्थी लेण्ड होल्डर त[illegible] बरनाला को आदेश दिया जावे कि वह टीम गठित कर आराजी खसरा नम्बर 479/700 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2025.10.29 17:10:05 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)

Scanned with CamScanner

0.38 है0, 479 रकबा 1.25 है0 स्थित ग्राम नाननवास तहसील बरनाला को आदेशित कर पत्थरगढी करवायी जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी की ओर से अपने खाते की नकल जमाबंदी एवं तहसीलदार बरनाला की ओर से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 ग्राम नाननवास पटवार मण्डल गोठ भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र बाटोदा तहसील बरनाला में स्थित आराजी हाल खसरा 479/700 रकबा 0.38 है0, 479 रकबा 1.25 है0 स्थित ग्राम नाननवास तहसील बरनाला स्थित भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज होकर है। प्रार्थीगण अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। हमारे द्वारा बहस वकील प्रार्थीगण की सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

// आदेश //

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम नाननवास पटवार मण्डल गोठ भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र बाटोदा तहसील बरनाला में स्थित आराजी हाल खसरा 479/700 रकबा 0.38 है0, 479 रकबा 1.25 है0 स्थित ग्राम नाननवास तहसील बरनाला भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0निरीक्षक बाटोदा को 1000/– रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। अतः भू0अ0 निरीक्षक बाटोदा जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बरनाला को पालना हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 8-10-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर कोर्ट मुख्यालय पर सुनाया गया।

उप जिला कलक्टर
(प्रियंका कडेला)
बामनवास (स०मा०)
उपखण्ड अधिकारी
बामनवास(सवाई माधोपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2025.10.29 17:10:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner